निवेदन प्रार्थी का सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा झाडेली के खाता संख्या 236, 704 के खेत खसरा नम्बर 325 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 4.2006 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 5.6251 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम देवाराम दत्तक पुत्र सोनी के स्थान पर देवीसिंह दत्तक पुत्र नरसी सिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी की फोटो प्रति में भी प्रार्थी का नाम देवीसिंह पुत्र नरसी सिंह नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार देवीसिंह पुत्र नरसी सिंह एवं देवाराम दत्तक पुत्र सोनी एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह ताईद होता है कि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती में सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा झाड़ेली के खाता संख्या 236, 704 के खसरा नम्बर 325 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 4.2006 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 5.6251 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार देवाराम दत्तक पुत्र सोनी के स्थान पर देवी सिंह दत्तक पुत्र नरसी सिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: : आदेशः : -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा झाडेली के खाता संख्या 236 व 704 के खसरा नम्बर 325 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 4.2006 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 5.6251 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम **देवाराम दत्तक पुत्र सोनी के स्थान पर देवी सिंह दत्तक पुत्र नरसी सिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।** तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 28/01/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner